

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक

विषय:- राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सचिवालय सहायकों/पर्यवेक्षकीय संवर्गों एवं समूह "ग" के कर्मियों को कम्प्यूटर सक्षमता प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण शुल्क का पुर्ननिर्धारण।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 आदेश सं०-1609 दिनांक 24.05.2011 द्वारा अधिसूचित किये जाने के आलोक में सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-सह-पठित ज्ञापांक-1285 दिनांक 08.11.2011 के तहत राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सचिवालय सहायकों/पर्यवेक्षकीय संवर्गों एवं समूह "ग" के कर्मियों का कम्प्यूटर सक्षमता प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु "NIELIT (National Institute of Electronic & Information Technology) Ex-DOEACC Society को प्राधिकृत किया गया है तथा उनके द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किये जाने संबंधी कार्य किये जा रहे हैं।

प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने वाले कर्मियों से परीक्षा शुल्क एवं कोर्स फीस के रूप में रुपये 4,460/- (चार हजार चार सौ साठ) रुपये + सर्विस टैक्स 460/- (चार सौ साठ) रु० (10.3% की दर से) + रु० 250/- (दो सौ पचास) मात्र अल्पाहार हेतु कुल राशि 5,170/- (पाँच हजार एक सौ सत्तर) रुपये मात्र प्रति कर्मियों को जमा किये जाने का प्रावधान किया गया था। परन्तु दिनांक 01.04.2012 के प्रभाव से केन्द्र सरकार के द्वारा पूर्व निर्धारित सेवा शुल्क 10.3% को 12.36% में परिवर्तित कर दिये जाने के फलस्वरूप प्रशिक्षण शुल्क का निर्धारण निम्न रूप में किया जाता है :-

Head	Value (Rs.) As on 31-03-2012	Value (Rs.) As on 01-04-2012
Course Fee	4460/-	4460/-
Service Tax	460/- (@ 10.3%)	552/- (@12.36%)
Refreshment Charges	250/-	250/-
Total :-	5170/-	5262/-
Effective Change :-	Rs. 92/-	

वर्णित स्थिति में दिनांक 01.04.2012 के प्रभाव से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मियों के द्वारा परीक्षा शुल्क एवं कोर्स फीस के रूप में रुपये 4,460/- (चार हजार चार सौ साठ) रुपये + सर्विस टैक्स 552/- (पाँच सौ बावन) रु० (12.36% की दर से) + रु० 250/- (दो सौ पचास) मात्र अल्पाहार हेतु कुल राशि 5,262/- (पाँच हजार दो सौ बासठ) रुपये मात्र Demand Draft के रूप में NIELIT REGIONAL OFFICE, PATNA, PAYABLE AT PATNA में जमा करना होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(दिनेश कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 07 / सू० प्रा०-190 / 2011.....

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि : (अनुलग्नक सी० डी० सहित) अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी पाँच सौ प्रतियाँ को सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

क्रमशः2/-

ज्ञापांक : 07-सू० प्रा०-190/2011..... पटना, दिनांक
 प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 07-सू० प्रा०-190/2011..... पटना, दिनांक
 प्रतिलिपि : सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी अनुमंडलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 07-सू० प्रा०-190/2011...**529**..... पटना, दिनांक**19/04/12**
 प्रतिलिपि : क्षेत्रीय प्रबन्धक, NIELIT (National Institute of Electronic & Information Technology), बिस्कोमान भवन, पटना/वरीय परामर्शी, (SeMT) ~~परामर्शी~~ (SeMT), सूचना पावैधिकी विभाग, पटना। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

19.4.12
सरकार के अवर सचिव

Head	Value (Rs.)	Value (Rs.)
Course Fee	4500/-	4500/-
Service Tax	4500/- (50%)	2250/-
Refundment Charges	2300/-	2300/-
Total :-	21700/-	25050/-
Effective Change :-	Rs. 25050/-	

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय प्रबन्धक, NIELIT (National Institute of Electronic & Information Technology), बिस्कोमान भवन, पटना/वरीय परामर्शी, (SeMT) परामर्शी (SeMT), सूचना पावैधिकी विभाग, पटना। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(सहस्र) प्रमुख के प्रमुख

ज्ञापांक : 07-सू० प्रा०-190/2011..... पटना, दिनांक
 प्रतिलिपि : सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी अनुमंडलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(सहस्र) प्रमुख के प्रमुख